



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102026-276693
CG-DL-E-01102026-276693

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 785]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 30, 2026/आश्विन 8, 1948

No. 785]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 30, 2026/ASVINA 8, 1948

विधि और न्याय मंत्रालय
(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2026

सा.का.नि. 856(अ).—केंद्रीय सरकार, अधिकरण सुधार अधिनियम, 2026 (2026 का 17) की धारा 20 की उपधारा (2) के खंड (क), खंड (ख), खंड (ग), खंड (ङ), खंड (छ), खंड (ज) और खंड (झ) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय अधिकरण आयोग और अधिकरणों के अध्यक्ष तथा सदस्यों की अर्हता, चयन एवं सेवा शर्तें नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की दिनांक से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ—(1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) “अधिनियम” से अधिकरण सुधार अधिनियम, 2026 (2026 का 17) अभिप्रेत है;
 - (ख) “अध्यक्ष” में किसी अधिकरण का सभाध्यक्ष, अध्यक्ष, सभापति पीठासीन अधिकारी सम्मिलित हैं, किंतु आयोग का अध्यक्ष सम्मिलित नहीं है;
 - (ग) “आयोग का अध्यक्ष” से राष्ट्रीय अधिकरण आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
 - (घ) “आयोग” से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय अधिकरण आयोग अभिप्रेत है;
 - (ङ) “समिति” से नियम 13 के अधीन गठित जांच समिति अभिप्रेत है;
 - (च) “प्ररूप” से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;
 - (छ) “सदस्य” में किसी अधिकरण का उपाध्यक्ष, उपसभाध्यक्ष, उप सभापति, लेखाकार सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य और तकनीकी सदस्य सम्मिलित हैं;
 - (ज) “आयोग का सदस्य” से राष्ट्रीय अधिकरण आयोग का न्यायिक सदस्य या तकनीकी सदस्य अभिप्रेत है;
 - (झ) “राष्ट्रीय अधिकरण डाटा ग्रिड” से ऐसा पोर्टल अभिप्रेत है जिसमें अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिकरणों से संबंधित सभी मामलों की सूचना का भंडार उपलब्ध हो;
 - (ञ) “खोज-सह-चयन समिति” से धारा 13 के अधीन गठित खोज-सह-चयन समिति अभिप्रेत है;
 - (ट) “सचिवालय” से अधिनियम की धारा 8 में निर्दिष्ट आयोग का सचिवालय अभिप्रेत है;
 - (ठ) “सचिव” से अधिनियम की धारा 8 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त आयोग का सचिव अभिप्रेत है; और
 - (ड) “अधिकरण” से अधिनियम की प्रथम अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण अभिप्रेत है।
- (2) उन शब्दों और पदों के, जो इन अधिनियम में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु संहिता में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उनके अधिनियम में हैं।

अध्याय 2

आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के पद धारण करने के वेतन, भत्ते तथा अन्य निबंधन और शर्तें

3. वेतन—(1) आयोग के अध्यक्ष को प्रतिमाह दो लाख पचास हजार रुपये (नियत) वेतन दिया जाएगा।

(2) आयोग के सदस्य को प्रतिमाह दो लाख पच्चीस हजार रुपये (नियत) वेतन दिया जाएगा।

(3) आयोग का अध्यक्ष या आयोग का सदस्य अपने पूर्व नियोजन के संबंध में कोई पेंशन प्राप्त कर रहा है, तो ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के वेतन में से ऐसी पेंशन की सकल रकम के बराबर कटौती की जाएगी।

4. भत्ते—(1) आयोग का अध्यक्ष और आयोग का सदस्य समान वेतन धारण करने वाले केंद्रीय सरकार के अधिकारी को अनुज्ञेय भत्ते और लाभ आहरित करने के हकदार होंगे।

(2) उप-नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आयोग के अध्यक्ष या आयोग के सदस्य को पद ग्रहण करने की तारीख से, लागू नियमों के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले आवास का उपयोग करने का विकल्प होगा या वह निम्नलिखित सीमा तक मकान किराए की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगा—

(क) आयोग के अध्यक्ष के मामले में प्रतिमाह एक लाख पचास हजार रुपये; और

(ख) आयोग के सदस्य के मामले में प्रतिमाह एक लाख पच्चीस हजार रुपये:

5. परिवहन और यात्रा भत्ता— (1) आयोग के अध्यक्ष या आयोग के सदस्य लागू नियमों के अनुसार समान वेतन धारण करने वाले केंद्रीय सरकार के अधिकारियों को अनुज्ञेय निबंधनों और शर्तों पर स्टाफ कार का उपयोग करने के हकदार होंगे।

(2) आयोग का अध्यक्ष या आयोग का सदस्य, दौरे पर रहते समय, (जिसमें आयोग में कार्यभार ग्रहण करने के लिए की गई यात्रा या आयोग में उसका कार्यकाल समाप्त होने पर अपने गृह नगर को जाने के लिए की गई यात्रा भी सम्मिलित है) समान वेतन धारण करने वाले केंद्रीय सरकार के अधिकारी को अनुज्ञेय दर पर यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता और निजी सामान के परिवहन का हकदार होगा।

6. पद धारण करने की अन्य शर्तें.— (1) आयोग के अध्यक्ष या आयोग के सदस्य के पद धारण करने की निबंधन और शर्तों के संबंध में, जिनके लिए इन नियमों में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, वे निबंधन और शर्तें होगी जो समान वेतन धारण करने वाले केंद्रीय सरकार के अधिकारी पर लागू है।

परंतु आयोग के अध्यक्ष या आयोग के सदस्यों के भत्तों और अन्य निबंधनों तथा शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(2) आयोग के अध्यक्ष या आयोग के सदस्य आयोग में अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्य करते हुए कोई मध्यस्थता या कोई अन्य सशुल्क कार्यभार स्वीकार नहीं करेंगे।

(3) आयोग के अध्यक्ष या आयोग के सदस्य पद छोड़ने के पश्चात किसी अधिकरण के समक्ष विधि-व्यवसाय नहीं करेंगे।

7. पद और गोपनीयता की शपथ— आयोग के अध्यक्ष या आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति पद ग्रहण करने से पहले क्रमशः प्ररूप 1 और प्ररूप 2 में पद और गोपनीयता की शपथ लेगा तथा उस पर हस्ताक्षर करेगा।

8. वित्तीय और अन्य हितों की घोषणा— आयोग का अध्यक्ष या आयोग का सदस्य पद ग्रहण करने से ठीक पहले—

(क) प्ररूप 3 में दी गई वित्तीय और अन्य हितों की घोषणा करेगा, और

(ख) प्ररूप 4 में अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करेगा और उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी को या उससे पहले ऐसा विवरण प्रस्तुत करेगा।

अध्याय 3

आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पेंशन, उपदान और छुट्टी

9. पेंशन और उपदान— आयोग के अध्यक्ष या आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण करने के लिए कोई अतिरिक्त पेंशन और उपदान अनुज्ञेय नहीं होगा।

10. छुट्टी— (1) आयोग का अध्यक्ष या आयोग का सदस्य—

(क) पदधारण करने वाले प्रत्येक वर्ष के लिए तीस दिन की अर्जित छुट्टी का; और

(ख) एक कैलेंडर वर्ष में आठ दिन की आकस्मिक छुट्टी का,

हकदार होगा।

(2) छुट्टी मंजूर करने वाला प्राधिकारी—

(क) आयोग के अध्यक्ष के मामले में, केंद्रीय सरकार होगी; और

(ख) आयोग के सदस्य के मामले में, आयोग का अध्यक्ष होगा।

(3) आयोग का अध्यक्ष या आयोग का सदस्य उसके खाते में जमा अर्जित छुट्टी के संबंध में छुट्टी नकदीकरण का हकदार होगा, परंतु यह शर्त होगी कि पूर्व सेवा से सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त अर्जित छुट्टी की रकम सहित उनके द्वारा नकदीकृत छुट्टी की कुल अवधि किसी भी दशा में केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के अधीन विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं होगा।

11. विदेश यात्रा— आयोग के अध्यक्ष या आयोग के सदस्यों की, यदि कोई हो, विदेश यात्रा के लिए मंजूरी देने वाला प्राधिकारी केंद्रीय सरकार होगी।

अध्याय 4

आयोग के अध्यक्ष या आयोग के सदस्य के विरुद्ध समिति का गठन और जांच करने की रीति

12. शिकायतों की प्राप्ति— (1) जब केंद्रीय सरकार को आयोग के अध्यक्ष या आयोग के सदस्य के विरुद्ध, दस्तावेजों सहित, यदि कोई हों, अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के खंड (घ) या खंड (ङ) में निर्दिष्ट किसी निश्चित आरोप वाली लिखित शिकायत प्राप्त होती है, तो वह ऐसी शिकायत की प्रारंभिक जांच करेगी।

(2) जहां प्रारंभिक जांच पर जांच किए जाने के लिए युक्तियुक्त आधार दिखाई देते हैं, वहां केंद्रीय सरकार जांच के लिए एक समिति गठित करेगी और शिकायत उसे निर्दिष्ट करेगी।

13. समिति का गठन— आयोग के अध्यक्ष या आयोग के सदस्य के विरुद्ध नियम 12 के उपनियम (2) में निर्दिष्ट शिकायतों की जांच के लिए समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:—

(क) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामनिर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय का एक न्यायाधीश — अध्यक्ष;

(ख) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी उच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति — सदस्य; और

(ग) विधि, लोक प्रशासन या वित्त के क्षेत्र में अनुभव रखने वाला कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए — सदस्य।

14. जांच करने की रीति.— केंद्रीय सरकार से शिकायत प्राप्त होने पर समिति शिकायत और उससे संबंधित दस्तावेजों, यदि कोई हों, की जांच करेगी।

(2) यदि समिति की यह राय है कि शिकायत में लगाए गए आरोपों की सत्यता की जांच किए जाने के लिए युक्तियुक्त आधार हैं, तो समिति आरोपों को विरचित करेगी।

(3) समिति, आयोग के अध्यक्ष या संबंधित सदस्य को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा स्पीड पोस्ट अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपस्थित होने या समिति के समक्ष ऐसी अवधि के भीतर जो विनिर्दिष्ट की जाए, लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी करेगी और उक्त नोटिस के साथ—

(क) उप-नियम (2) के अधीन विरचित आरोपों की एक प्रति; और

(ख) प्रत्येक ऐसे आरोप के आधार के रूप में कथित आधारों का विवरण,

संग्रह करेगी।

(4) नोटिस की तामील की दिनांक से ही, आयोग के अध्यक्ष या संबंधित सदस्य समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने और इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा अंतिम विनिश्चय किए जाने तक पद के किसी कृत्य का निर्वहन नहीं करेंगे।

(5) समिति नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात और उसकी तामील के प्रमाण के आधार पर जांच आगे बढ़ाएगी।

(6) यदि आयोग का अध्यक्ष या संबंधित सदस्य उक्त नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उपस्थित होने में असफल रहता है या लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं करता है, तो आयोग उस पर नोटिस की तामील के सबूत पर अध्यक्ष या सदस्य की अनुपस्थिति में जांच आगे कर सकेगी।

(7) समिति प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करेगी और उसे अपनी प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी, जिसमें जांच की दिनांक, स्थान और समय नियत करना, शिकायतकर्ता के साक्ष्य को अभिलिखित करना तथा जांच से संबंधित सामग्री एकत्र करना सम्मिलित है।

(8) केंद्रीय सरकार इस अध्याय के अधीन जांच के प्रयोजन के लिए समिति को सभी सचिवीय सहायता उपलब्ध कराएगी।

15. साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए समिति की शक्तियां— (1) इस अध्याय के अधीन जांच करने के प्रयोजनों के लिए समिति को निम्नलिखित मामलों के संबंध में, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात्:—

(क) भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना और उसकी उपस्थिति प्रवर्तित करना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और पेश किया जाना अपेक्षित करना;

(ग) शपथपत्र पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करना; और

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना।

16. समिति की रिपोर्ट— (1) समिति नियम 12 के उप-नियम (2) के अधीन शिकायत उसके पास निर्दिष्ट किए जाने की दिनांक से एक सौ अस्सी दिनों की अवधि के भीतर अपने निष्कर्षों सहित अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगी।

(2) जहां समिति के सदस्य अपने निष्कर्षों पर एकमत नहीं हैं, वहां समिति की रिपोर्ट उसके सदस्यों के बहुमत के निष्कर्ष के अनुसार होगी और असहमति की राय, यदि कोई हो, भी रिपोर्ट में सम्मिलित की जा सकेगी।

अध्याय 5

आयोग के सचिवालय और सचिव के कृत्य

17. आयोग का सचिवालय— आयोग का एक सचिवालय होगा जिसका प्रधान आयोग का सचिव होगा।

18. सचिवालय के कृत्य— (1) सचिवालय निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा:—

(क) आयोग की बैठकों की अनुसूची तैयार करना और कार्यवृत्त तैयार करना;

(ख) अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों के पदधारियों तथा रिक्त पदों का डाटाबेस बनाए रखना;

(ग) अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न अधिकरणों में अध्यक्ष और सदस्य के पदों के लिए अभ्यर्थियों द्वारा रजिस्ट्रीकरण और आवेदन प्रस्तुत करने हेतु ऑनलाइन पोर्टल विकसित करना और उसका अनुरक्षण करना;

(घ) अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों के पदों के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्ता के निर्धारण में सहायता के प्रदान करने के प्रयोजनों के लिए विनियमों द्वारा यथा विनिर्दिष्ट संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों का पैनल तैयार करना;

(ङ) रिक्तियों का विज्ञापन और प्राप्त आवेदनों की प्रक्रिया;

(च) आवेदनों की संवीक्षा;

(छ) जहां आवश्यक हो, अभ्यर्थियों के साथ बातचीत सहित उनके आकलन की अनुसूची तैयार करना और आयोजन करना;

(ज) खोज-सह-चयन समिति के विचारार्थ सभी आकलनों का संकलन करना;

(झ) खोज-सह-चयन समिति की सिफारिश की दिनांक से तीन दिन के भीतर उसकी सिफारिशों को केंद्रीय सरकार को संसूचित करना;

(ञ) बजट प्राकलन, वार्षिक लेखा विवरण, तुलन-पत्र, प्राप्ति और भुगतान लेखा तथा व्यय विवरण तैयार करना और लेखे बनाए रखना;

(ट) कार्यालय की देखरेख करना, जिसमें आयोग के अभिलेखों और फाइलों तथा आधिकारिक वेबसाइट का अनुरक्षण सम्मिलित है;

(ठ) राष्ट्रीय अधिकरण डाटा ग्रिड विकसित करना और उसका अनुरक्षण करना;

(ड) आयोग के क्रियाकलापों का सही और पूर्ण लेखा देने वाली वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना; और

(ढ) अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न अधिकरणों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा करने तथा वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने में आयोग की सहायता करना ।

(2) सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी अपने कर्तव्यों और कार्यों के निर्वहन में पूर्ण गोपनीयता बनाए रखेंगे।

19. सचिव की शक्तियां और कृत्य --(1) सचिव, सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होगा और ऐसी वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा, इस निमित्त समय-समय पर जारी नियमों, आदेशों और अनुदेशों के अधीन, विभाग के प्रमुख द्वारा प्रयोगतव्य हैं :

परंतु सचिव अपनी शक्तियों और कृत्यों का पालन करते हुए, समय-समय पर यथा संशोधित, सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के उपबंधों का पालन करेगा ।

(2) सचिव निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा,--

- (क) सचिवालय के कामकाज और आयोग के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन की देखरेख करना और आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखना ;
 - (ख) आयोग के व्यय के अनुमोदन करना या अनुमोदन करवाना ;
 - (ग) आयोग द्वारा दिए जाने वाले वेतन तथा अन्य भुगतानों को आहरित एवं वितरित करने के लिए किसी अधिकारी को प्राधिकृत करना ;
 - (घ) आयोग के अभिलेख को उचित रूप में रखने के लिए और इसकी मुहर तथा स्टाम्प की अभिरक्षा के लिए किसी अधिकारी को प्राधिकृत करना ;
 - (ङ) आदेशों, निदेशों, आदि की प्रतियों को प्रमाणित करने के लिए अवर सचिव की पंक्ति से अनिमित्त के किसी अधिकारी को अधिप्रमाणित या प्राधिकृत करना ;
 - (च) आयोग और खोज-सह-चयन समितियों की बैठकें बुलाना ;
 - (छ) सार्वजनिक शिकायतों और परिवादों के निपटान की निगरानी करना ; और
 - (ज) खातों के वार्षिक विवरण की तैयारी सुनिश्चित करना ।
- (3) आयोग को संबोधित सभी संचार और आयोग के सभी आधिकारिक लेनदेन सचिव के नाम पर किए जाएंगे ।

अध्याय 6

खोज-सह-चयन समिति और अधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन की रीति

20. रिक्तियों का निर्धारण--(1) संबंधित मंत्रालय या विभाग, किसी कैलेंडर वर्ष के दौरान अधिकरणों में उद्भूत होने वाली या उद्भूत होने की संभावना वाली विभिन्न रिक्तियों को भरने के लिए आयोग को अध्यपेक्षा प्रस्तुत करेगा।

(2) सचिवालय, समय-समय पर, रिक्तियों के उत्पन्न होने से कम से कम छह मास पहले उन्हें भरने की प्रक्रिया आरंभ करेगा।

21. खोज-सह-चयन समितियां—आयोग, अधिनियम की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों के चयन के प्रयोजन के लिए, आवश्यकतानुसार खोज-सह-चयन समितियां गठित करेगा।

22. पदों को भरने की रीति--(1) अध्यक्ष और सदस्यों के पदों की रिक्तियों के लिए विज्ञापन उस प्ररूप और रीति में जारी किया जाएगा, जो अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए :

परंतु खोज-सह-चयन समिति, अध्यक्ष के पद की दशा में, रिक्ति का विज्ञापन जारी करने के स्थान पर नियुक्ति के लिए योग्य उपयुक्त व्यक्तियों की खोज कर सकेगी।

(2) सचिवालय, विज्ञापन के उत्तर में प्राप्त प्रत्येक आवेदन या खोज के माध्यम से पहचाने गए उम्मीदवारों के विवरण की जांच करेगा, जैसा विनियमों में विनिर्दिष्ट है, और उन्हें खोज-सह-चयन समिति के विचार के लिए रखेगा।

(3) सचिवालय, चयनित उम्मीदवारों की उपयुक्तता का निर्धारण करने के लिए, अधिनियम की धारा 15 के अधीन पैनलित, टीमें का गठन करेगा, जिनमें प्रत्येक में दो विशेषज्ञ होंगे और किए गए निर्धारण को विचार के लिए खोज-सह-चयन समिति के समक्ष रखेगी।

(4) उपनियम (3) में निदिष्ट विशेषज्ञ, खोज-सह-चयन समिति के सदस्य के रूप में कार्य करेंगे।

(5) खोज-सह-चयन समिति, उपनियम (3) के अधीन यथा निर्धारित उम्मीदवारों के साथ व्यक्तिगत बातचीत करेगी :

परंतु खोज-सह-चयन समिति, खोज विधि के माध्यम से अध्यक्ष की नियुक्ति की दशा में, व्यक्तिगत बातचीत से अभिमुक्ति प्रदान कर सकेगी।

(6) खोज-सह-चयन समिति, विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे निर्धारण की वरीयता, जिसमें उम्मीदवारों के साथ व्यक्तिगत बातचीत सम्मिलित है, और उनकी सत्यनिष्ठा तथा उपयुक्तता और संबंधित अधिकरणों की आवश्यकताओं के आधार पर, उपयुक्त व्यक्तियों की सिफारिश करने के लिए उम्मीदवारों के व्यापक निर्धारण को ध्यान में रखेगी।

(7) खोज-सह-चयन समिति, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के प्रत्येक पद हेतु नियुक्ति के लिए, प्रतीक्षा सूची, जो सिफारिश की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगी, में रखे जाने के लिए, प्रत्येक पद के लिए एक अतिरिक्त नाम के साथ, एक उपयुक्त व्यक्ति की, सिफारिश करेगी।

(8) सचिवालय ऐसी सिफारिश की तारीख से तीन कार्य दिवसों के भीतर केंद्रीय सरकार को सिफारिश की सूचना देगा।

23. नियुक्ति प्राधिकारी--केन्द्रीय सरकार, अधिनियम की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी होगी।

24. निर्धारण के लिए व्यापक प्रक्रिया--(1) खोज-सह-चयन समिति, अधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों के पद के लिए उम्मीदवारों के निर्धारण हेतु एक व्यापक प्रक्रिया अपनाएगी, जो निम्नलिखित में से दो या दो से अधिक का संयोजन होगी, अर्थात् :--

(क) विशेषज्ञों द्वारा निम्नलिखित का निर्धारण,--

(i) उम्मीदवारों की तर्क करने की क्षमता का निर्धारण करने के लिए, उनके द्वारा न्यायिक या अर्ध-न्यायिक क्षमता में पारित निर्णयों या आदेशों का ; या

(ii) अधिवक्ताओं, चार्टर्ड एकाउंटेंट, दिवाला वृत्तिकों और अन्य सहित उम्मीदवार द्वारा मुकदमेबाजी या प्रतिनिधित्व किए गए मामलों में, किए गए प्रस्तुतीकरण का ; या

(iii) सेवा या वृत्ति या विशेषज्ञता के अनुभव का, जिनमें सुसंगत क्षेत्र में शैक्षणिक प्रकाशन और अन्य महत्वपूर्ण योगदान सम्मिलित है ;

(ख) खोज-सह-चयन समिति द्वारा उम्मीदवारों के साथ व्यक्तिगत बातचीत के माध्यम से निर्धारण ;

(ग) आदेश लेखन अभ्यास के माध्यम से निर्धारण :

परंतु अध्यक्ष के पद पर खोज विधि के माध्यम से नियुक्ति की दशा में, खोज-सह-चयन समिति द्वारा, खंड (ख) और खंड (ग) में यथा निर्दिष्ट उपर्युक्त प्रक्रिया से अभिमुक्ति प्रदान की जा सकेगी ।

(2) निर्धारण के प्रयोजन के लिए, विज्ञापन में उन दस्तावेजों को विनिर्दिष्ट किया जाएगा, जिनमें उम्मीदवार द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले, निर्णयों या आदेशों या अन्य सुसंगत दस्तावेजों की संख्या सम्मिलित हो सकेगी ।

(3) विशेषज्ञ, निर्णय या आदेश या किसी उम्मीदवार के अनुभव या अन्य योगदान का निर्धारण करते समय, निम्नलिखित पर विचार कर सकेंगे, अर्थात् :-

(क) संबंधित अधिकरण के सुसंगत क्षेत्र में प्रक्रियात्मक और सारभूत विधि का ज्ञान ;

(ख) दिए गए किसी मामले में विधियों और विधिक सिद्धांतों को लागू करने की क्षमता ;

(ग) न्यायिक स्वभाव, विश्लेषणात्मक क्षमता, तर्क, स्पष्टता और प्रारूपण दक्षता ।

(4) खोज-सह-चयन समिति, पुनर्नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों का निर्धारण करते समय, संबंधित अधिकरण में न्यायनिर्णय कार्यों के निर्वहन में उनके प्रदर्शन और आचरण पर भी विचार करेगी ।

अध्याय 7

अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं

25. अर्हताएं—विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताएं निम्नानुसार होंगी, अर्थात् :-

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अधीन सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण—कोई व्यक्ति,-

(क) अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक वह,--

(i) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं है, या नहीं रहा है और जिसने उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में सात वर्ष से अन्यून की सेवा पूरी नहीं कर ली है ; या

(ii) अपील अधिकरण का सदस्य नहीं है ;

(ख) न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक वह,--

(i) दस वर्षों की संयुक्त अवधि के लिए, जिला न्यायाधीश और अपर जिला न्यायाधीश नहीं है या नहीं रहा है ; या

(ii) सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय या भारत के उच्चतम न्यायालय में अप्रत्यक्ष कर विधियों के अधीन मुकदमेबाजी में अनुभव के साथ दस वर्षों तक अधिवक्ता नहीं रहा है ; या

(iii) भारतीय विधिक सेवा का, श्रेणी 1 या उससे ऊपर में, सदस्य नहीं है या नहीं रहा है ;

(ग) तकनीकी सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक वह भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर समूह 'क') का सदस्य नहीं है और प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क या केंद्रीय उत्पाद शुल्क या किसी समकक्ष या उच्च पद पर कार्य नहीं कर चुका है और तीन वर्षों तक न्यायिक, अर्ध-न्यायिक या न्यायनिर्णायक कार्य नहीं किया है।

(2) तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 (1976 का 13) के अधीन अपील अधिकरण--कोई व्यक्ति,--

(क) अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक वह,--

(i) उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नहीं हो, या नहीं रहा हो ; या

(ii) किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नहीं हो, या नहीं रहा हो ;

(ख) सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक वह,--

(i) भारत सरकार के अपर सचिव या किसी समतुल्य या उच्चतर पद पर न रहा हो और तीन वर्षों तक न्यायिक, अर्ध-न्यायिक या न्यायनिर्णायक कार्य न किया हो ; या

(ii) भारत सरकार के अपर सचिव या उससे ऊपर के स्तर पर भारतीय विधिक सेवा का सदस्य न रहा हो।

(3) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) के अधीन अधिकरण--कोई व्यक्ति,--

(क) अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक वह,--

(i) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं हो, या नहीं रहा हो ; या

(ii) केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में प्रशासनिक सदस्य या न्यायिक सदस्य का पद, तीन वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए, धारण न किया हो ;

(ख) न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक वह,--

(i) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं हो, या नहीं रहा हो ; या

(ii) दस वर्षों की संयुक्त अवधि के लिए, जिला न्यायाधीश और अपर जिला न्यायाधीश नहीं है या नहीं रहा है ; या

(iii) केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, सशस्त्र बल अधिकरण, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में सेवा मामलों में मुकदमेबाजी में पर्याप्त अनुभव के साथ दस वर्षों तक अधिवक्ता नहीं रहा है ;

(iv) भारतीय विधिक सेवा का, श्रेणी 1 या उससे ऊपर में, सदस्य नहीं है या नहीं रहा है ;

(ग) प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक उसने केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन भारत सरकार के अपर सचिव या कोई अन्य समतुल्य पद धारण नहीं किया है, जिसका वेतनमान भारत सरकार के अपर सचिव के पद के वेतनमान से अन्यून न हो।

(4) रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 54) के अधीन रेल दावा अधिकरण--कोई व्यक्ति,--

(क) अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक वह,--

(i) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं हो, या नहीं रहा हो ; या

(ii) तीन वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए, यथास्थिति उपाध्यक्ष, न्यायिक सदस्य या तकनीकी सदस्य के रूप में पद धारण नहीं किया है ;

(ख) उपाध्यक्ष (न्यायिक) के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक वह,--

(i) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं हो, या नहीं रहा हो ;

(ii) भारत सरकार के अपर सचिव या उससे ऊपर के स्तर पर भारतीय विधिक सेवा का सदस्य न रहा हो ; या

(iii) दो वर्ष की अवधि के लिए, सिविल न्यायिक पद धारण नहीं किया है, जिसका वेतनमान भारत सरकार के अपर सचिव से कम नहीं है ; या

(iv) कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए न्यायिक सदस्य के रूप में पद धारण नहीं किया है ;

(ग) उपाध्यक्ष (तकनीकी) के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक वह,--

(i) तीन वर्ष से कम की अवधि के लिए तकनीकी सदस्य के रूप में पद धारण नहीं किया है ; या

(ii) दो वर्ष से कम की अवधि के लिए रेलवे प्रशासन के अधीन कोई पद धारण नहीं किया है, जिसका वेतनमान भारत सरकार के अपर सचिव से कम का नहीं है और रेल से संबंधित दावों और वाणिज्यिक मामलों के नियमों और प्रक्रिया का पर्याप्त ज्ञान और अनुभव है ;

(घ) न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक वह,--

(i) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं हो, या नहीं रहा हो ; या

(ii) दस वर्षों की संयुक्त अवधि के लिए, जिला न्यायाधीश और अपर जिला न्यायाधीश नहीं है या नहीं रहा है ; या

(iii) रेलवे दावा अधिकरण या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में जीवन और संपत्ति को नुकसान से संबंधित दावा निपटान की मुकदमेबाजी में पर्याप्त अनुभव के साथ दस वर्षों से अधिवक्ता नहीं है ; या

(iv) भारतीय विधिक सेवा का, श्रेणी 1 या उससे ऊपर में, सदस्य नहीं है या नहीं रहा है ।

(ङ) तकनीकी सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक वह, योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति न हो, जिसे रेलवे से संबंधित दावों और वाणिज्यिक मामलों में, नियम और प्रक्रिया की विशेष जानकारी और पच्चीस वर्ष से अन्यून का अनुभव हो ।

(5) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन प्रतिभूति अपील अधिकरण--कोई व्यक्ति,--

(क) पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक वह,--

(i) उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नहीं हो, या नहीं रहा हो ; या

(ii) किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नहीं हो, या नहीं रहा हो ;

(ख) न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक वह,--

(i) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं हो, या नहीं रहा हो ;

(ii) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, प्रतिभूति अपील अधिकरण, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष वित्तीय क्षेत्र से संबंधित मामलों में मुकदमेबाजी के दस वर्ष के सारवान अनुभव के साथ अधिवक्ता न रहा हो ; या

(iii) भारतीय विधिक सेवा का, श्रेणी 1 या उससे ऊपर में, सदस्य नहीं है या नहीं रहा है ।

(ग) तकनीकी सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक वह,--

(i) केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार में अपर सचिव, भारत सरकार या किसी समतुल्य या उच्चतर पद पर न रहा हो ; या

(ii) वित्तीय क्षेत्रों में, जिनमें प्रतिभूति बाजार या पेंशन फंड या कमोडिटी डेरिवेटिव या बीमा सम्मिलित है, पच्चीस वर्ष से अन्यून का, वृत्तिक अनुभव और विशेष ज्ञान रखने वाला, एक सिद्ध योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति है :

परंतु भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (बोर्ड) या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण या पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण का कोई सदस्य या अंशकालिक सदस्य, या बोर्ड में या ऐसे प्राधिकरणों में कार्यकारी निदेशक के समकक्ष वरिष्ठ प्रबंधन स्तर का कोई व्यक्ति, प्रतिभूति अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी या सदस्य के रूप में, यथास्थिति, बोर्ड में या ऐसे अधिकरणों में, उस रूप में उसकी सेवा या पदावधि के दौरान, या उस तारीख से, जिसको वह बोर्ड में या ऐसे अधिकरणों में इस प्रकार कार्य करना बंद कर देता है, दो वर्ष के भीतर, नियुक्त नहीं किया जाएगा ।

(6) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) के अधीन ऋण वसूली अधिकरण--कोई व्यक्ति, पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक वह,--

(i) जिला न्यायाधीश नहीं हो, या नहीं रहा हो ; या

(ii) भारतीय विधिक सेवा का, श्रेणी 1 या उससे ऊपर में, सदस्य नहीं है या नहीं रहा है ।

(7) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) के अधीन ऋण वसूली अपील अधिकरण--कोई व्यक्ति, अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक वह,--

(i) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं हो, या नहीं रहा हो ; या

(ii) अपर सचिव, भारत सरकार या ऊपर के स्तर पर भारतीय विधिक सेवा का सदस्य नहीं है या नहीं रहा है ; या

(iii) किसी ऋण वसूली अधिकरण के पीठासीन अधिकारी का कम से कम तीन वर्ष तक पद धारण नहीं किया है ।

(8) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) के अधीन दूरसंचार विवाद समाधान और अपीलीय अधिकरण-- कोई व्यक्ति निम्नलिखित के रूप में नियुक्ति हेतु अर्ह नहीं होगा —

(क) अध्यक्ष, जब तक कि वह

(i) उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश न हो या न रहा हो; या

(ii) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति न हो या न रहा हो;

(ख) सदस्य, जब तक वह क्षमता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाला ऐसा व्यक्ति न हो जिसे अर्थशास्त्र, व्यवसाय, वाणिज्य, विधि, वित्त, लेखाशास्त्र, प्रबंधन, उद्योग, लोककार्य, प्रशासन, दूरसंचार या ऐसे किसी अन्य विषय का, जो दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण के लिए उपयोगी हो, कम से कम पच्चीस वर्ष का विशेष ज्ञान और व्यावसायिक अनुभव न हो।

(9) विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) के अधीन विद्युत अपील अधिकरण,-- कोई व्यक्ति निम्नलिखित के रूप में नियुक्ति हेतु अर्ह नहीं होगा—

(क) अध्यक्ष, जब तक कि वह

(i) उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश न हो या न रहा हो; या

(ii) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति न हो या न रहा हो;

(ख) न्यायिक सदस्य, जब तक कि वह

(i) उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो या न रहा हो; या

(ii) दस वर्ष की सम्मिलित अवधि के लिए जिला न्यायाधीश और अपर जिला न्यायाधीश न रहा हो; या

(iii) दस वर्ष तक अधिवक्ता न रहा हो और केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, राज्य विद्युत विनियामक आयोगों, विद्युत अपील अधिकरण, उच्च न्यायालय या भारत के उच्चतम न्यायालय के समक्ष विद्युत क्षेत्र से संबंधित मामलों में सारवान वाद संबंधी अनुभव न रखता हो; या

(iv) भारतीय विधि सेवा में श्रेणी 1 या उससे ऊपर का सदस्य न हो या न रहा हो;

(ग) तकनीकी सदस्य, जब तक कि वह क्षमता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाला ऐसा व्यक्ति न हो जिसे विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण, विनियमन, अर्थशास्त्र, व्यवसाय, वाणिज्य, विधि, वित्त, लेखाशास्त्र, प्रबंधन, उद्योग, लोक कार्य, प्रशासन या अपील अधिकरण के लिए उपयोगी किसी अन्य विषय से संबंधित मामलों में कम से कम पच्चीस वर्ष का विशेष ज्ञान और व्यावसायिक अनुभव न हो।

(10) सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 (2007 का 55) के अधीन सशस्त्र बल अधिकरण,— कोई व्यक्ति निम्नलिखित के रूप में नियुक्ति हेतु अर्ह नहीं होगा—

(क) अध्यक्ष, जब तक कि वह

(i) उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश न हो या न रहा हो; या

(ii) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति न हो या न रहा हो;

(ख) न्यायिक सदस्य, जब तक कि वह

(i) उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो या न रहा हो; या

(ii) दस वर्ष तक अधिवक्ता न रहा हो और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, सशस्त्र बल अधिकरण, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में सेवा संबंधी मामलों में सारवान वाद संबंधी अनुभव न रखता हो; या

(iii) भारतीय विधि सेवा में श्रेणी 1 या उससे ऊपर का सदस्य न हो या न रहा हो;

(ग) प्रशासनिक सदस्य, जब तक कि वह

(i) सेना में कम से कम तीन वर्ष की कुल अवधि के लिए मेजर जनरल या उससे ऊपर की रैंक या नौसेना या वायु सेना में समतुल्य रैंक धारण न करता रहा हो या न कर रहा हो; या

(ii) सेना, नौसेना या वायु सेना में कम से कम एक वर्ष तक जज एडवोकेट जनरल के रूप में सेवा न कर चुका हो और क्रमशः मेजर जनरल, कमोडोर और एयर कमोडोर से नीचे की रैंक का न हो; या

(iii) क्षमता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाला ऐसा व्यक्ति न हो जिसे अर्थशास्त्र, व्यवसाय, वाणिज्य, विधि, वित्त, लेखाशास्त्र, प्रबंधन, उद्योग, लोक कार्य, प्रशासन या सशस्त्र बल अधिकरण के लिए उपयोगी किसी अन्य विषय में कम से कम पच्चीस वर्ष का विशेष ज्ञान और व्यावसायिक अनुभव न हो।

(11) राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) के अधीन राष्ट्रीय हरित अधिकरण,— कोई व्यक्ति निम्नलिखित के रूप में नियुक्ति हेतु अर्ह नहीं होगा—

(क) अध्यक्ष, जब तक कि वह

(i) उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश न हो या न रहा हो; या

(ii) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति न हो या न रहा हो;

(ख) न्यायिक सदस्य, जब तक कि वह

- (i) उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो या न रहा हो; या
- (ii) दस वर्ष की सम्मिलित अवधि के लिए जिला न्यायाधीश और अपर जिला न्यायाधीश न रहा हो; या
- (iii) दस वर्ष तक अधिवक्ता न रहा हो और राष्ट्रीय हरित अधिकरण या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में पर्यावरण और वन से संबंधित मामलों में सारवान वाद संबंधी अनुभव न रखता हो; या
- (iv) भारतीय विधि सेवा में श्रेणी 1 या उससे ऊपर का सदस्य न हो या न रहा हो;
- (ग) विशेषज्ञ सदस्य, जब तक कि वह

(i) विज्ञान में डिग्री या स्नातकोत्तर डिग्री या डॉक्टरेट डिग्री न रखता हो और संबंधित क्षेत्र में पच्चीस वर्ष का अनुभव, जिसमें किसी प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर के संस्थान में पर्यावरण और वन के क्षेत्र में पांच वर्ष का व्यावहारिक अनुभव (जिसमें प्रदूषण नियंत्रण, संकटकारी पदार्थ प्रबंधन, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, जलवायु परिवर्तन प्रबंधन, जैव विविधता प्रबंधन और वन संरक्षण सम्मिलित हैं) न हो; या

(ii) बीस वर्ष का प्रशासनिक अनुभव न हो, जिसमें केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर के संस्थान में पर्यावरण संबंधी मामलों से व्यवहार करने का पांच वर्ष का अनुभव सम्मिलित हो।

(12) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण,— कोई व्यक्ति निम्नलिखित के रूप में नियुक्ति हेतु अर्ह नहीं होगा—

(क) अध्यक्ष, जब तक कि वह

- (i) उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश न हो या न रहा हो; या
- (ii) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति न हो या न रहा हो;

(ख) न्यायिक सदस्य, जब तक कि वह

- (i) उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो या न रहा हो; या
- (ii) पांच वर्ष तक राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण का न्यायिक सदस्य न रहा हो; या
- (iii) दस वर्ष तक अधिवक्ता न रहा हो और राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष कंपनी कार्यों से संबंधित मामलों में सारवान वाद संबंधी अनुभव न रखता हो; या
- (iv) भारत सरकार के अपर सचिव के स्तर पर या उससे ऊपर भारतीय विधि सेवा का सदस्य न रहा हो;

(ग) तकनीकी सदस्य, जब तक कि वह क्षमता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाला ऐसा व्यक्ति न हो जिसे विधि, औद्योगिक वित्त, औद्योगिक प्रबंधन या प्रशासन, औद्योगिक पुनर्निर्माण, निवेश, लेखाशास्त्र या राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण के लिए उपयोगी किसी अन्य विषय में कम से कम पच्चीस वर्ष का विशेष ज्ञान और व्यावसायिक अनुभव न हो।

(13) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) के अधीन राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,— कोई व्यक्ति निम्नलिखित के रूप में नियुक्ति हेतु अर्ह नहीं होगा—

(क) अध्यक्ष, जब तक कि वह

- (i) उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश न हो या न रहा हो; या
- (ii) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति न हो या न रहा हो;

(ख) सदस्य, जब तक कि वह

(i) उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो या न रहा हो; या

(ii) दस वर्ष की सम्मिलित अवधि के लिए जिला न्यायाधीश और अपर जिला न्यायाधीश न रहा हो; या

(iii) भारत सरकार के अपर सचिव के स्तर पर या उससे ऊपर भारतीय विधि सेवा का सदस्य न रहा हो; या

(iv) क्षमता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाला ऐसा व्यक्ति न हो जिसे अर्थशास्त्र, व्यवसाय, वाणिज्य, विधि, वित्त, लेखाशास्त्र, प्रबंधन, उद्योग, लोक कार्य, प्रशासन या राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के लिए उपयोगी किसी अन्य विषय का विशेष ज्ञान और कम से कम पच्चीस वर्ष का व्यावसायिक अनुभव न हो।

(14) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) के अधीन औद्योगिक अधिकरण-- कोई व्यक्ति निम्नलिखित के रूप में नियुक्ति हेतु अर्ह नहीं होगा—

(क) न्यायिक सदस्य, जब तक कि वह

(i) दस वर्ष की सम्मिलित अवधि के लिए जिला न्यायाधीश और अपर जिला न्यायाधीश न रहा हो; या

(ii) दस वर्ष तक अधिवक्ता न रहा हो और श्रम संबंधी मामलों में सारवान वाद संबंधी अनुभव न रखता हो; या

(iii) भारतीय विधि सेवा की श्रेणी 1 या उससे ऊपर का सदस्य न हो या न रहा हो ;

(ख) प्रशासनिक सदस्य, जब तक कि वह भारत सरकार के संयुक्त सचिव की रैंक या केंद्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार में समान रैंक का अधिकारी न हो या न रहा हो ।

(15) आय-कर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) के अधीन आय-कर अपील अधिकरण-- कोई व्यक्ति निम्नलिखित के रूप में नियुक्ति हेतु अर्ह नहीं होगा—

(क) अध्यक्ष, जब तक कि वह

(i) उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो या न रहा हो, जिसने उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कम से कम सात वर्ष की सेवा पूर्ण न की हो ; या

(ii) आय-कर अपील अधिकरण का उपाध्यक्ष न हो ;

(ख) उपाध्यक्ष, जब तक कि वह सदस्य न हो ; और

(ग) न्यायिक सदस्य, जब तक कि वह—

(i) दस वर्ष की सम्मिलित अवधि के लिए जिला न्यायाधीश और अपर जिला न्यायाधीश न हो या न रहा हो; या

(ii) दस वर्ष तक अधिवक्ता न रहा हो और आय-कर अपील अधिकरण, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में आय-कर विधियों के अधीन सारवान वाद संबंधी अनुभव न रखता हो; या

(iii) भारतीय विधि सेवा की श्रेणी 1 या उससे ऊपर का सदस्य न हो या न रहा हो ;

(घ) लेखाकार सदस्य, जब तक कि वह—

(i) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अधीन चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में लेखाकार के व्यवसाय में दस वर्ष का अनुभव न रखता हो ; या

(ii) भारतीय राजस्व सेवा (आय-कर सेवा समूह 'क') का सदस्य न हो या न रहा हो तथा प्रधान आय-कर आयुक्त का पद या कोई समान पद या उच्चतर पद धारण न किया हो और तीन वर्ष के लिए न्यायिक, अर्ध-न्यायिक या न्यायनिर्णायक कृत्य न किया हो।

26. अध्यक्ष या सदस्य की चिकित्सीय उपयुक्तता— कोई व्यक्ति अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसे इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा चिकित्सकीय रूप से उपयुक्त घोषित न किया गया हो।

27. आकस्मिक रिक्ति— निम्नलिखित के पद में आकस्मिक रिक्ति होने पर—

(क) अध्यक्ष, केंद्रीय सरकार उपाध्यक्षों या उप-अध्यक्षों या उप-प्रेसिडेंटों में से किसी एक को, और उनकी अनुपस्थिति में जहां उपलब्ध हो वहां वरिष्ठतम न्यायिक सदस्य को या अधिकरण के वरिष्ठतम सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकेगी;

(ख) ऋण वसूली अपील अधिकरण का अध्यक्ष, केंद्रीय सरकार किसी अन्य ऋण वसूली अपील अधिकरण के अध्यक्ष को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकेगी;

(ग) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी, केंद्रीय सरकार किसी अन्य ऋण वसूली अधिकरण के पीठासीन अधिकारी को कार्यवाहक पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगी;

(घ) राज्य प्रशासनिक अधिकरण का अध्यक्ष, संबंधित राज्य सरकार न्यायिक सदस्यों में से किसी एक को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

28. अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति पर मूल सेवा से सेवानिवृत्ति या त्यागपत्र.— जहां अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का सेवारत न्यायाधीश या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या उनके उपक्रम की किसी सेवा का सेवारत सदस्य है, वहां वह अधिकरण में कार्यभार ग्रहण करने से पहले अपनी मूल सेवा से या तो त्यागपत्र देगा या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्राप्त करेगा।

अध्याय 8

अधिकरणों के अध्यक्ष या सदस्य का त्यागपत्र या हटाया जाना तथा जांच करने की रीति

29. त्यागपत्र— किसी अधिकरण का अध्यक्ष या सदस्य किसी भी समय केंद्रीय सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षरयुक्त लिखित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा :

परंतु अध्यक्ष या सदस्य, जब तक केंद्रीय सरकार उसे पहले पद से मुक्त होने की अनुमति न दे, ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने की अवधि की समाप्ति तक या सम्यक् रूप से नियुक्त उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक या उसकी पदावधि की समाप्ति तक, इनमें से जो भी पहले हो, पद धारण करता रहेगा।

30. शिकायतों की जांच करने की रीति— (1) जहां किसी अधिकरण से संबंधित मंत्रालय या विभाग को किसी अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के संबंध में अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) के खंड (घ) से (छ) में यथा विनिर्दिष्ट किसी निश्चित आरोप का उल्लेख करने वाली लिखित शिकायत प्राप्त होती है, वहां वह ऐसी शिकायत प्राप्त होने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर ऐसी शिकायत की प्रारंभिक जांच करेगा।

(2) जहां प्रारंभिक जांच पर संबंधित मंत्रालय या विभाग की यह राय है कि उपनियम (1) में निर्दिष्ट किसी आरोप की सत्यता की जांच किए जाने के लिए युक्तियुक्त आधार हैं, वहां वह जांच किए जाने के लिए मामले को आयोग के अध्यक्ष को निर्दिष्ट करेगा।

(3) आयोग का अध्यक्ष, उपनियम (2) के अधीन निर्देश प्राप्त होने पर ऐसी जांच किसी ऐसे जांच अधिकारी से कराएगा जो—

(क) उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति हो या रहा हो, जहां जांच अध्यक्ष के विरुद्ध है; या

(ख) उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो, जहां जांच सदस्य के विरुद्ध है।

(4) जांच का संचालन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगा और जांच अधिकारी को जांच की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी, जिसमें जांच की तारीख, स्थान और समय नियत करना सम्मिलित है।

(5) जांच अधिकारी उपनियम (3) के अधीन यथाशीघ्र या जांच अधिकारी की नियुक्ति की तारीख से एक सौ बीस दिनों की अवधि के भीतर अपने निष्कर्षों सहित जांच रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करेगा।

(6) आयोग उपनियम (2) के अधीन शिकायत को निर्दिष्ट किए जाने की तारीख से एक सौ अस्सी दिनों की अवधि के भीतर समुचित कार्रवाई के लिए जांच रिपोर्ट को अपनी सिफारिशों सहित केंद्रीय सरकार को भेजेगा।

अध्याय 9

अधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते

31. वेतन— (1) ऋण वसूली अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के सिवाय, अध्यक्ष को प्रतिमास दो लाख पचास हजार रुपये (नियत) वेतन संदत्त किया जाएगा।

(2) औद्योगिक अधिकरण के न्यायिक सदस्य और प्रशासनिक सदस्य के सिवाय, सदस्य को प्रतिमास दो लाख पच्चीस हजार रुपये वेतन संदत्त किया जाएगा।

(3) केंद्रीय सरकार द्वारा गठित ऋण वसूली अधिकरण के पीठासीन अधिकारी और औद्योगिक अधिकरण के न्यायिक सदस्य और प्रशासनिक सदस्य वेतन मैट्रिक्स के स्तर 14 में पद धारण करने वाले केंद्रीय सरकार के अधिकारी को यथाअनुज्ञेय वेतन के हकदार होंगे।

(4) जहां अध्यक्ष या सदस्य उनकी पूर्व सेवा की बाबत कोई पेंशन प्राप्त कर रहा है, तो ऐसे अध्यक्ष/सदस्य को देय ऐसी पेंशन की सकल रकम द्वारा कटौती की जाएगी।

32. भत्ते— (1) अधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्य ऐसे भत्ते और फायदे आहरित करने के हकदार होंगे, जो समान वेतन पाने वाले केंद्रीय सरकार के अधिकारी को अनुज्ञेय हैं।

(2) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, पद ग्रहण करने की तारीख से, अध्यक्ष या सदस्यों को लागू नियमों के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले आवास का उपयोग करने का विकल्प या निम्नलिखित सीमा तक मकान किराए की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगा—

(क) अध्यक्ष के मामले में प्रतिमास एक लाख पचास हजार रुपये, ऋण वसूली अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के सिवाय; और

(ख) अधिकरणों के सदस्यों तथा ऋण वसूली अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के मामले में प्रतिमास एक लाख पच्चीस हजार रुपये।

33. परिवहन भत्ता— अध्यक्ष और सदस्य उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर स्टाफ कार का उपयोग करने के हकदार होंगे जो लागू नियमों के अधीन समान वेतन पाने वाले केंद्रीय सरकार के अधिकारी के लिए अनुज्ञेय है।

अध्याय 10

अधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों की पेंशन, भविष्य निधि, उपदान और छुट्टी

34. पेंशन, भविष्य निधि और उपदान— अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य अधिकरण में प्रदान की गई सेवा के लिए अतिरिक्त पेंशन, भविष्य निधि और उपदान के हकदार नहीं होंगे।

35. छुट्टी— (1) अध्यक्ष या सदस्य,—

(क) प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए तीस दिन की अर्जित छुट्टी; और

(ख) एक कैलेंडर वर्ष में आठ दिन से अतधिक आकस्मिक छुट्टी का हकदार होगा।

(2) छुट्टी के दौरान छुट्टी वेतन का भुगतान केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के नियम 40 द्वारा शासित होगी।

(3) अध्यक्ष और सदस्य उनके खाते में जमा अर्जित छुट्टी के संबंध में छुट्टी भुनाने का हकदार होगा, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि उनके द्वारा भुनाई गई अर्जित छुट्टी की कुल अवधि जिसके अंतर्गत पूर्व सेवा से सेवानिवृत्ति के समय भुनाई गई अर्जित छुट्टी की अवधि भी है, किसी भी दशा में केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के अधीन विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं होगी।

(4) निम्नलिखित के लिए छुट्टी मंजूर करने वाला प्राधिकारी—

(क) यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार का संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग अध्यक्ष होगा; और

(ख) अध्यक्ष या अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, यथास्थिति, संबंधित केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार का संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग का सदस्य होगा।

(5) केंद्रीय सरकार का संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग अध्यक्ष या सदस्य की, यदि कोई हो, विदेश यात्रा के लिए मंजूरी देने वाला प्राधिकारी होगा।

अध्याय 11

प्रकीर्ण

36. पद और गोपनीयता की शपथ— अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति पद ग्रहण करने से पहले क्रमशः प्ररूप 1 और प्ररूप 2 में पद और गोपनीयता की शपथ लेगा तथा उस पर हस्ताक्षर करेगा।

37. वित्तीय और अन्य हितों की घोषणा— अधिकरण का अध्यक्ष या सदस्य पद ग्रहण करने से ठीक पहले-

(क) प्ररूप 3 में वित्तीय और अन्य हितों की घोषणा; और

(ख) प्ररूप 4 में अचल संपत्ति का विवरण, और उसके पश्चात या उससे पहले प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी को प्रस्तुत करेगा।

38. सेवा की अन्य शर्तें— (1) अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य की सेवा की निबंधन और शर्तों के संबंध में, जिनकी बाबत इन नियमों में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, समान वेतन वाले केंद्रीय सरकार के अधिकारी को लागू होंगी।

(2) अध्यक्ष या सदस्य अधिकरण की सेवा से उनके सेवानिवृत्त होने के पश्चात अधिकरण के समक्ष विधि-व्यवसाय नहीं करेगा।

(3) अध्यक्ष या सदस्य अधिकरण में इन हैसियतों में कार्य करते हुए मध्यस्थता या कोई अन्य सशुल्क कार्यभार स्वीकार नहीं करेगा।

(4) अधिकरण का अध्यक्ष या सदस्य, पद धारण करना समाप्त करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए, ऐसे किसी व्यक्ति के नियोजन को, जो अधिकरण के समक्ष किसी कार्यवाही का पक्षकार रहा है, या उसके प्रबंधन या प्रशासन से संबंधित नियोजन को स्वीकार नहीं करेगा:

परंतु इस नियम में अंतर्विष्ट कोई बात केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी कानूनी प्राधिकरण या किसी केंद्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (45) में यथापरिभाषित किसी सरकारी कंपनी के अधीन किसी नियोजन पर लागू नहीं होगी।

39. अवशिष्ट उपबंध— ऐसे मामलों के संबंध में, जिनके लिए इन नियमों में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, प्रत्येक मामले में केंद्रीय सरकार को विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा और उस पर केंद्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

प्ररूप 1
(नियम 7 और नियम 36 देखें)

आयोग/अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के लिए पद की शपथ का प्ररूप

मैं,, आयोग/..... अधिकरण के अध्यक्ष/ आयोग/ अधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त होने पर, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता/करती हूं/ईश्वर के नाम पर शपथ लेता/लेती हूं कि मैं अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से, भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना, आयोग/ अधिकरण के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और ईमानदारी से निर्वहन करूंगा/करूंगी और यह कि मैं संविधान और देश की विधियों को बनाए रखूंगा/रखूंगी।

हस्ताक्षर :

(अध्यक्ष/सदस्य का नाम)

पदनाम :

.....आयोग/..... अधिकरण

प्ररूप 2
(नियम 7 और नियम 36 देखें)

आयोग/अधिकरण के अध्यक्ष/सदस्य के लिए गोपनीयता की शपथ का प्ररूप

मैं,, आयोग/..... अधिकरण के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में नियुक्त होने पर, एतद्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता/करती हूँ/ईश्वर के नाम पर शपथ लेता/लेती हूँ कि मैं किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा कोई विषय, जो मेरे विचारार्थ लाया जाएगा या उक्त आयोग/अधिकरण के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में मुझे ज्ञात होगा, सिवाय इसके कि अध्यक्ष/सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के समुचित निर्वहन के लिए अपेक्षित हो, संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा/करूंगी।

हस्ताक्षर :

(अध्यक्ष/सदस्य का नाम)

पदनाम :

.....आयोग/..... अधिकरण

प्ररूप 3
(नियम 8 और नियम 37 देखें)

वित्तीय या अन्य हितों की घोषणा

मैं, आयोग/..... अधिकरण के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में नियुक्त होने पर, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता/करती हूँ और घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे पास ऐसा कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं है और न भविष्य में होगा, जिससे आयोग/अधिकरण के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में मेरे कार्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

हस्ताक्षर :

(अध्यक्ष/सदस्य का नाम)

पदनाम :

.....आयोग/..... अधिकरण

प्ररूप 4
(नियम 8 और नियम 37 देखें)

वर्ष ____ के लिए अचल संपत्ति विवरणी का विवरण

तारीख __/__/__ को

1. अध्यक्ष/सदस्य का पूरा नाम: _____

2. पदनाम: _____

3. वर्तमान वेतन :

जिला, उपखंड, तालुक और ग्राम या शहर का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित है (पूरा स्थान और डाक पता)	संपत्ति, आवास, भूमि और अन्य भवनों का नाम और ब्यौरे	मकान के मामले में भूमि की लागत सहित निर्माण/अर्जन की लागत (और क्रय का वर्ष),	वर्तमान मूल्य*	यदि अपने नाम पर नहीं है, तो यह बताएं कि किसके नाम पर धारण की गई है तथा उसका अध्यक्ष/ सदस्य से संबंध	कैसे अर्जित की गई—क्रय, पट्टा, बंधक, विरासत, उपहार या अन्यथा; अर्जन की तारीख और जिस व्यक्ति/व्यक्तियों से अर्जित की गई उसका नाम तथा ब्यौरे	संपत्ति से वार्षिक आय	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

टिप्पण

1. 'यदि जहां मूल्य का सटीक रूप से अनुमान लगाना संभव ना हो, वर्तमान स्थिति के लिए अनुमानित मूल्य को उपदर्शित किया जा सकेगा।
2. 'कोई परिवर्तन नहीं या कोई परिवर्धन नहीं या विगत वर्ष की तरह' शब्दों से बचा जा सकेगा और ब्यौरे फाईल किए जा सकेंगे।

[फा. सं J-18/75/2026- न्यायिक/ई.198117]

प्रवीण श्रीवास्तव, अपर सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**(Department of Legal Affairs)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th September, 2026

G.S.R. 856(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (a), (b), (c), (e), (g), (h) and (i) of sub-section (2) of section 20 of the Tribunals Reforms Act, 2026 (17 of 2026), the Central Government hereby makes the following rules, namely: –

**CHAPTER I
PRELIMINARY**

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the National Tribunals Commission and Qualification, Selection, and Conditions of Service of Chairperson and Members of Tribunals Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. — (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

- (a) “Act” means the Tribunals Reforms Act, 2026 (17 of 2026);
- (b) “Chairperson” includes Chairperson, Chairman, President and Presiding Officer of a Tribunal, but does not include the Chairperson of the Commission;
- (c) “Chairperson of the Commission” means the Chairperson of the National Tribunals Commission;
- (d) “Commission” means the National Tribunals Commission established under section 3 of the Act;
- (e) “Committee” means the Committee for inquiry constituted under rule 13;
- (f) “Form” means a Form appended to these rules;
- (g) “Member” includes Vice-Chairman, Vice-Chairperson, Vice-President, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member and Technical Member of a Tribunal;
- (h) “Member of the Commission” means a Judicial Member or a Technical Member of the National Tribunals Commission;
- (i) “National Tribunals Data Grid” means a portal containing the repository of all case related information pertaining to Tribunals specified in the First Schedule to the Act;
- (j) “Search-cum-Selection Committee” means a Search-cum-Selection Committee constituted under section 13 of the Act;

- (k) “Secretariat” means the Secretariat of the Commission referred to in section 8 of the Act;
- (l) “Secretary” means the Secretary of the Commission appointed by the Central Government under section 8 of the Act; and
- (m) “Tribunal” means a Tribunal, an Appellate Tribunal or an Authority as specified in column (2) of the First Schedule to the Act.

(2) The words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

CHAPTER II

SALARY, ALLOWANCES AND OTHER TERMS AND CONDITIONS OF HOLDING OFFICE OF CHAIRPERSON AND MEMBERS OF COMMISSION

3. Salary. — (1) The Chairperson of the Commission shall be paid a salary of rupees two lakh fifty thousand (fixed) per month.

(2) The Members of the Commission shall be paid a salary of rupees two lakh twenty-five thousand (fixed) per month.

(3) Where the Chairperson of the Commission or a Member of the Commission is in receipt of any pension in respect of their previous service, the pay of such Chairperson or Member shall be reduced by the gross amount of such pension.

4. Allowances. — (1) The Chairperson of the Commission and the Members of the Commission shall be entitled to draw allowances and benefits as are admissible to an officer of the Central Government carrying the same pay.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), with effect from the date of assuming office, the Chairperson of the Commission and Members of the Commission shall have an option to avail accommodation to be provided by the Central Government as per the applicable rules or be eligible for reimbursement of house rent subject to a limit of —

- (a) rupees one lakh fifty thousand per month in case of Chairperson of the Commission; and
- (b) rupees one lakh twenty-five thousand per month in case of a Member of the Commission.

5. Transport and travelling allowance. — (1) The Chairperson of the Commission and Members of the Commission shall be entitled to the use of staff car on the same terms and conditions as are admissible to officers of the Central Government carrying the same pay under the applicable rules.

(2) The Chairperson of the Commission and Members of the Commission, while on tour (including the journey undertaken to join the Commission or on the expiry of their term with the Commission, proceed to their home town) shall be entitled to the travelling allowance, daily allowance and transportation of personal effects at the same rate as are admissible to an officer of the Central Government carrying the same pay.

6. Other conditions of holding office. — (1) The terms and conditions of holding office of the Chairperson of the Commission or Members of the Commission with respect to which no express provision has been made in these rules, shall be such as are applicable to an officer of the Central Government carrying the same pay:

Provided that neither the allowances nor the other terms and conditions of holding office of the Chairperson of the Commission or Members of the Commission shall be varied to their disadvantage after their appointment.

(2) The Chairperson of the Commission or Members of the Commission shall not undertake arbitration or any other paid assignment while functioning as such Chairperson or Member in the Commission.

(3) The Chairperson of the Commission and Members of the Commission shall not practice before any Tribunal after their demitting of office.

7. Oath of office and secrecy. — Every person appointed to the post of Chairperson of the Commission or Member of the Commission shall, before entering upon their office, make and subscribe an oath of office and secrecy in Form I and Form II, respectively.

8. Declaration of financial and other interest. — The Chairperson of the Commission and Members of the Commission shall, immediately before entering upon their office, submit-

(a) a declaration of financial and other interest in Form III; and

(b) a statement of immovable property in Form IV and thereafter on or before the 31st January of every year.

CHAPTER III

PENSION, GRATUITY AND LEAVE OF CHAIRPERSON AND MEMBERS OF COMMISSION

9. Pension and gratuity. — No additional pension and gratuity shall be admissible for holding office as the Chairperson of the Commission and Members of the Commission.

10. Leave. — (1) The Chairperson of the Commission and Members of the Commission shall be entitled to —

(a) thirty days of earned leave for every year of holding office; and

(b) casual leave of eight days in a calendar year.

(2) The leave sanctioning authority for—

(a) the Chairperson of the Commission, shall be the Central Government; and

(b) the Member of the Commission, shall be the Chairperson of the Commission.

(3) The Chairperson of the Commission and Members of the Commission shall be entitled to encashment of leave in respect of the earned leave standing to their credit, subject to the condition that the total period of earned leave encashed by them, including the period of earned leave encashed at the time of retirement from previous service, shall not in any case exceed the limit specified under the Central Civil Service (Leave) Rules, 1972.

11. Foreign visit. — The Central Government shall be the sanctioning authority for foreign travel, if any, of the Chairperson of the Commission and Members of the Commission.

CHAPTER IV

CONSTITUTION OF COMMITTEE AND MANNER OF CONDUCTING INQUIRY AGAINST CHAIRPERSON OF COMMISSION OR MEMBER OF COMMISSION

12. Receipt of complaints. — (1) Where a written complaint against Chairperson of the Commission or Member of the Commission along with documents, if any, making any definite allegation, as referred to in clauses (d) or (e) of sub-section (2) of section 6 of the Act, is received by the Central Government, it shall make a preliminary scrutiny of such complaint.

(2) Where on preliminary scrutiny, there appears reasonable grounds for making an inquiry, the Central Government shall constitute a Committee for inquiry and refer the complaint to it.

13. Composition of Committee for inquiry into complaints. — The Committee for inquiry into complaints against the Chairperson of the Commission or Member of the Commission referred to in sub-rule (2) of rule 12, shall comprise the following members, namely: —

- (a) a Judge of the Supreme Court to be nominated by the Chief Justice of India – chairperson;
- (b) a retired Chief Justice of a High Court to be nominated by the Chief Justice of India – member;
and
- (c) an eminent person with experience in the field of law, public administration or finance, to be nominated by the Central Government - member.

14. Manner of conducting inquiry. — (1) On receipt of complaint from the Central Government, the committee shall examine the complaint and the documents, if any.

(2) If the Committee is of the opinion that there are reasonable grounds for making an inquiry into the veracity of the allegations made in the complaint, the Committee shall frame the charges.

(3) The Committee shall issue a notice, by speed post with registration or in electronic mode to the Chairperson of the Commission or concerned Member of the Commission to appear or file written

submission before the Committee within such period as may be specified in the notice, and shall enclose with the said notice—

(a) a copy of the charges framed under sub-rule (2); and

(b) the statement of the grounds on which each such charge is based.

(4) On and from the date of service of notice, the Chairperson of the Commission or concerned Member of the Commission shall not discharge any function of the office till submission of report by the Committee and a final decision is taken by the Central Government in this behalf.

(5) The Committee shall, after the period specified in the notice and on proof of its service, proceed with the inquiry.

(6) If the Chairperson of the Commission or concerned Member of the Commission fails to appear or does not file written submission within the period specified in the said notice then, the Committee, on proof of its service, may proceed with the further inquiry in the absence of such Chairperson or Member.

(7) The Committee shall follow the principles of natural justice and have the power to regulate its own procedure which may include fixing of date, place and time of its inquiry, recording of evidence of the complainant and collection of materials relevant to the inquiry.

(8) The Central Government shall make available all secretarial assistance to the Committee for the purpose of inquiry under this Chapter.

15. Powers of Committee for recording of evidence. —For the purposes of conducting inquiry under this Chapter, the Committee shall have the powers of a civil court, while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), in respect of the following matters, namely: —

(a) summoning and enforcing the attendance of any person from any part of India and examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of any document;

(c) receiving evidence on affidavits;

(d) requisitioning any public record or copy thereof from any court or office; and

(e) issuing commissions for the examination of witnesses or documents.

16. Report of Committee. — (1) The Committee shall submit its report to the Central Government along with its findings within a period of one hundred and eighty days from the date of reference of the complaint to the Committee under sub-rule (2) of rule 12.

(2) Where the members of the Committee are not unanimous in their findings, the report of the Committee shall be in accordance with the findings of the majority of the members thereof and the dissenting opinion, if any, may also be included in the report.

CHAPTER V FUNCTIONS OF SECRETARIAT AND SECRETARY OF COMMISSION

17. Secretariat of Commission. — The Commission shall have a Secretariat to be headed by the Secretary of the Commission.

18. Functions of Secretariat. — (1) The Secretariat shall be responsible for—

- (a) scheduling meetings of the Commission and preparing minutes thereof;
- (b) maintaining a database of incumbency and vacancy positions of the Chairpersons and Members of various Tribunals specified in the First Schedule to the Act;
- (c) developing and maintaining an online portal for the registration and submission of applications by candidates for the posts of Chairpersons and Members of various Tribunals specified in the First Schedule to the Act;
- (d) empanelment of experts from relevant fields for the purpose of providing assistance in the assessment of the suitability of candidates for the posts of Chairpersons and Members of Tribunals as specified by regulations;
- (e) advertising vacancies and processing applications received;
- (f) scrutiny of applications;
- (g) scheduling and organising assessment of candidates including interaction with the candidates, wherever required;
- (h) compiling of all assessments for consideration of Search-cum-Selection Committee;
- (i) communicating the recommendations of the Search-cum-Selection Committee to the Central Government within three working days of the date of such recommendation;
- (j) preparing the budget estimates, annual statement of accounts, balance sheet, receipt and payment account and expenditure statements and maintaining accounts;
- (k) upkeep of the office including maintenance of records and files and official website of the Commission;
- (l) developing and maintaining the National Tribunals Data Grid;
- (m) preparing an annual report giving a true and full account of the activities of the Commission; and

(n) assisting the Commission in reviewing the performance of various Tribunals specified in the First Schedule to the Act and preparing the annual report.

(2) The officers and staff of the Secretariat shall maintain absolute confidentiality in the discharge of their duties and functions.

19. Powers and functions of Secretary. — (1) The Secretary shall be the administrative head of the Secretariat and exercise such financial powers, as are exercisable by the Head of Department, under the rules, orders and instructions issued by the Central Government, from time to time in this behalf :

Provided that the Secretary shall in exercise of the powers and functions, follow the provisions of the General Financial Rules, 2017, as amended from time to time.

(2) The Secretary shall be responsible for, —

(a) overseeing the functioning of the Secretariat and the day-to-day administration of the Commission and exercise administrative control over the officers and staff of the Commission;

(b) the approval or causing approval of, the expenditure of the Commission;

(c) authorising an officer to draw and disburse salaries and other payments to be made by the Commission;

(d) authorising an officer for the maintenance of records of the Commission in proper form and for custody of its seal and stamp;

(e) authenticating or authorising any officer not below the rank of Under Secretary to authenticate copies of orders, directions, etc.;

(f) convening meetings of the Commission and the Search-Cum-Selection Committees;

(g) monitoring disposal of public grievances and complaints; and

(h) ensuring the preparation of annual statement of accounts.

(3) All communications addressed to the Commission and all official transactions of the Commission shall be made in the name of the Secretary.

CHAPTER VI

SEARCH-CUM-SELECTION COMMITTEE AND MANNER OF SELECTION OF CHAIRPERSON AND MEMBERS OF TRIBUNALS

20. Determination of vacancies. — (1) The Ministries or Departments concerned shall submit a requisition to the Commission for filling the various vacancies arising or likely to arise in the Tribunals during a calendar year.

(2) The Secretariat shall, from time to time, initiate the process for filling up of the vacancies at least six months before they arise.

21. Search-cum-Selection Committees. — For the purpose of the selection of the Chairpersons and Members of the Tribunals specified in the First Schedule to the Act, the Commission shall constitute such Search-cum-Selection Committees as may be required.

22. Manner of filling up of posts. — (1) The advertisement of the vacancies to the posts of Chairperson and Members shall be issued in the form and manner as may be specified by the regulations under clause (b) of sub-section (2) of section 19 of the Act:

Provided that in the case of the posts of Chairperson, the Search-cum-Selection Committee may, instead of causing an advertisement of the vacancy, search for suitable persons eligible for appointment.

(2) The Secretariat shall scrutinise every application received in response to the advertisement or details of candidates identified through search, as specified in the regulations, and place them for the consideration of the Search-cum-Selection Committee.

(3) The Secretariat shall constitute teams comprising two experts each, empanelled under section 15 of the Act, to assess the suitability of the candidates and place the assessment made before the Search-cum-Selection Committee.

(4) The experts referred to in sub-rule (3) shall also serve as members of the Search-cum-Selection Committee.

(5) The Search-cum-Selection Committee shall conduct personal interaction with the candidates as assessed under sub-rule (3):

Provided that in case of appointment of Chairperson through search method, the Search-cum-Selection Committee may dispense with such personal interaction.

(6) The Search-cum-Selection Committee shall take into account the comprehensive assessment of the candidates, based on weightage of such assessments as specified in the regulations including personal interaction with the candidates and their integrity and suitability and the requirements of the Tribunals concerned for recommending suitable persons.

(7) The Search-cum-Selection Committee shall recommend a suitable person for appointment to each post of Chairperson or Member, as the case may be, along with an additional name, for each post,

to be kept in the waiting list, which shall be valid for a period of one year from the date of its recommendation.

(8) The Secretariat shall communicate the recommendations to the Central Government within three working days from the date of such recommendation.

23. Appointing authority. — The Central Government shall be the appointing authority for the Chairperson and Members of the Tribunals specified in the First Schedule to the Act.

24. Comprehensive procedure for assessment. — (1) The Search-cum-Selection Committee shall adopt a comprehensive procedure for the assessment of the candidates for the posts of Chairperson and Members of the Tribunals, which shall be a combination of two or more of the following, namely :—

(a) assessment by the experts, of —

(i) judgements or orders passed in judicial or quasi-judicial capacity by the candidate, for assessing their ability of reasoning; or

(ii) submissions made in matters litigated or represented by the candidate including advocates, chartered accountants, insolvency professionals and others; or

(iii) experience in service or profession or specialisation, including, academic publications or other significant contributions in the relevant field;

(b) assessment through personal interaction by the Search-cum-Selection Committee with the candidate;

(c) assessment through an order writing exercise:

Provided that in case of appointment to the post of Chairperson through search method, the aforementioned procedures as referred in clauses (b) and (c) may be dispensed with by the Search-cum-Selection Committee.

(2) For the purpose of assessment, the advertisement shall specify the documents which may include the number of judgements or orders or other relevant documents, to be submitted by the candidate along with the application.

(3) The experts, while assessing judgements or orders or experience or other contributions of a candidate, may consider the following, namely: —

(a) knowledge of procedural and substantive law in the relevant field of the Tribunal concerned;

(b) competence to apply laws and legal principles in a given case;

(c) judicial temperament, analytical ability, logic, clarity-and drafting acumen.

(4) While assessing candidates for reappointment, the Search-cum-Selection Committee shall also consider their performance and conduct in the discharge of adjudicatory functions in the Tribunal concerned.

CHAPTER VII

QUALIFICATIONS FOR APPOINTMENT OF CHAIRPERSON AND MEMBERS OF TRIBUNAL

25. Qualifications. — The qualifications of Chairperson and Members of various Tribunals shall be the following, namely: —

(I) Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal under the Customs Act, 1962 (52 of 1962). — A person shall not be qualified for appointment as —

(a) President, unless he—

(i) is, or has been, a Judge of a High Court and who has completed not less than seven years of service as a Judge in a High Court; or

(ii) is the member of the Appellate Tribunal;

(b) Judicial Member, unless he —

(i) is, or has, for a combined period of ten years, been a District Judge and Additional District Judge; or

(ii) has been an advocate for ten years with substantial experience in litigation under indirect tax laws in Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal or High Court or Supreme Court; or

(iii) is, or has been a member of the Indian Legal Service in Grade I or above;

(c) Technical Member, unless he is, or has been, a member of the Indian Revenue Service (Customs and Indirect Taxes Group 'A') and has held the post of Principal Commissioner of Customs or Central Excise or any equivalent or higher post and has performed judicial, quasi-judicial or adjudicating function for three years.

(II) Appellate Tribunal under the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 (13 of 1976). — A person shall not be qualified for appointment as—

(a) Chairman, unless he—

(i) is, or has been, a Judge of the Supreme Court; or

(ii) is, or has been the Chief Justice of a High Court;

(b) Member, unless he—

(i) has held the post of Additional Secretary to the Government of India or any equivalent or higher post and has performed judicial, quasi-judicial or adjudicating function for three years; or

(ii) has been a member of the Indian Legal Service at the level of Additional Secretary to the Government of India or above.

(III) Tribunals under the Administrative Tribunal Act, 1985 (13 of 1985). — A person shall not be qualified for appointment as—

(a) Chairman, unless he—

(i) is, or has been, a Judge of a High Court; or

(ii) is, for a period of not less than three years, holding the office of Administrative Member or Judicial Member in the Central Administrative Tribunal;

(b) Judicial Member, unless he—

(i) is, or has been, a Judge of a High Court; or

(ii) is, or has, for a combined period of ten years, been a District Judge and Additional District Judge; or

(iii) has been an advocate for ten years with substantial experience in litigation in service matters in Central Administrative Tribunal, Armed Forces Tribunal, High Court or Supreme Court; or

(iv) is, or has been a member of the Indian Legal Service in Grade I or above;

(c) Administrative Member, unless he has held the post of Additional Secretary to the Government of India or any other equivalent post under the Central Government or a State Government carrying the pay which is not less than that of an Additional Secretary to the Government of India.

(IV) Railway Claims Tribunal under the Railway Claims Tribunal Act, 1987 (54 of 1987). — A person shall not be qualified for appointment as—

(a) Chairman, unless he—

(i) is, or has been, a Judge of a High Court; or

(ii) has, for a period of not less than three years, held office as Vice-Chairman, Judicial Member or Technical Member, as the case may be;

(b) Vice-Chairman (Judicial), unless he—

(i) is, or has been, a Judge of a High Court; or

(ii) has been a member of the Indian Legal Service at the level of Additional Secretary to the Government of India or above; or

(iii) has, for two years, held a civil judicial post carrying a scale of pay which is not less than that of an Additional Secretary to the Government of India; or

(iv) has, for a period of not less than three years, held office as a Judicial Member;

(c) Vice-Chairman (Technical), unless he—

(i) has, for a period of not less than three years, held office as a Technical Member; or

(ii) has, for two years, held a post under a railway administration carrying the pay which is not less than that of an Additional Secretary to the Government of India and has adequate knowledge of rules and procedure of, and experience in, claims and commercial matters relating to railways;

(d) Judicial Member, unless he—

(i) is, or has been, a Judge of a High Court; or

(ii) is, or has for a combined period of ten years, been a District Judge and Additional District Judge; or

(iii) has been an advocate for ten years with substantial experience in litigation in claim settlements pertaining to damage to life and property in Railway Claims Tribunal or High Court or Supreme Court; or

(iv) is, or has been a member of the Indian Legal Service in Grade I or above;

(e) Technical Member, unless he is a person of ability, integrity and standing having special knowledge of rules and procedure of, and experience in, claims and commercial matters relating to railways of not less than twenty-five years.

(V) Securities Appellate Tribunal under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992). — A person shall not be qualified for appointment as—

(a) Presiding Officer, unless he—

(i) is, or has been, a Judge of the Supreme Court; or

(ii) is, or has been the Chief Justice of a High Court;

(b) Judicial Member, unless he—

(i) is, or has been, a Judge of a High Court; or

(ii) has been an advocate for ten years with substantial experience in litigation in matters relating to financial sector before Securities and Exchange Board of India, Securities Appellate Tribunal, High Court or Supreme Court; or

(iii) is, or has been a member of the Indian Legal Service in Grade I or above.

(c) Technical Member, unless he —

(i) has held the post of Additional Secretary in the Central Government or any equivalent or higher post in the Central Government or a State Government; or

(ii) is a person of proven ability, integrity and standing having special knowledge and professional experience, of not less than twenty-five years, in financial sectors including securities market or pension funds or commodity derivatives or insurance:

Provided that a Member or Part time Member of the Securities and Exchange Board of India (the Board) or the Insurance Regulatory and Development Authority or the Pension Fund Regulatory and Development Authority, or any person at senior management level equivalent to Executive Director in

the Board or in such authorities, shall not be appointed as Presiding Officer or Member of the Securities Appellate Tribunal, during his service or tenure as such with the Board or with such authorities, as the case may be, or within two years from the date on which he ceases to hold office as such in the Board or in such authorities.

(VI) Debts Recovery Tribunal under the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993). — A person shall not be qualified for appointment as Presiding Officer, unless he—

(a) is, or has been a District Judge; or

(b) is, or has been a member of the Indian Legal Service in Grade I or above.

(VII) Debts Recovery Appellate Tribunal under the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993). — A person shall not be qualified for appointment as Chairperson, unless he—

(a) is, or has been, a Judge of a High Court; or

(b) has been a member of the Indian Legal Service at the level of Additional Secretary to the Government of India or above; or

(c) has held office as the Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal for at least three years.

(VIII) Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal under the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997). — A person shall not be qualified for appointment as—

(a) Chairperson, unless he—

(i) is, or has been, a Judge of Supreme Court; or

(ii) is, or has been, Chief Justice of a High Court;

(b) Member, unless he is a person of ability, integrity and standing having special knowledge of, and professional experience of, not less than twenty-five years in economics, business, commerce, law, finance, accountancy, management, industry, public affairs, administration, telecommunications or any other matter which is useful to the Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal.

(IX) Appellate Tribunal for Electricity under the Electricity Act, 2003 (36 of 2003). — A person shall not be qualified for appointment as—

(a) Chairperson, unless he—

(i) is, or has been, a Judge of Supreme Court; or

(ii) is, or has been, a Chief Justice of a High Court;

(b) Judicial Member, unless he—

(i) is, or has been, a Judge of a High Court; or

(ii) is, or has, for a combined period of ten years, been a District Judge and Additional District Judge; or

(iii) has been an advocate for ten years with substantial experience in litigation in matters relating to power sector before Central Electricity Regulatory Commission, State Electricity Regulatory Commissions, Appellate Tribunal for Electricity, High Court or Supreme Court; or

(iv) is, or has been a member of the Indian Legal Service in Grade I or above;

(c) Technical Member, unless he is a person of ability, integrity and standing having special knowledge of, and professional experience of, not less than twenty-five years in matters dealing with electricity generation, transmission, distribution, regulation, economics, business, commerce, law, finance, accountancy, management, industry, public affairs, administration or in any other matter which is useful to the Appellate Tribunal.

(X) Armed Forces Tribunal under the Armed Forces Tribunal Act, 2007 (55 of 2007). — A person shall not be qualified for appointment as—

(a) Chairperson, unless he —

(i) is, or has been, a Judge of Supreme Court; or

(ii) is, or has been, a Chief Justice of a High Court;

(b) Judicial Member, unless he —

(i) is, or has been, a Judge of a High Court; or

(ii) has been an advocate for ten years with substantial experience in litigation in service matters in Central Administrative Tribunal, Armed Forces Tribunal, High Court or Supreme Court; or

(iii) is, or has been a member of the Indian Legal Service in Grade I or above;

(c) Administrative Member, unless he —

(i) has held or has been holding the rank of Major General or above for a total period of three years in the Army or equivalent rank in the Navy or the Air Force; or

(ii) has served for not less than one year as Judge Advocate General in the Army or the Navy or the Air Force, and is not below the rank of Major General, Commodore and Air Commodore respectively; or

(iii) is a person of ability, integrity and standing having special knowledge of, and professional experience of not less than twenty-five years in, economics, business, commerce, law, finance, accountancy, management, industry, public affairs, administration or in any other matter useful to the Armed Forces Tribunal.

(XI) National Green Tribunal under the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010). — A person shall not be qualified for appointment as—

(a) Chairperson, unless he—

(i) is, or has been, a Judge of Supreme Court; or

- (ii) is, or has been, Chief Justice of a High Court.
- (b) Judicial Member, unless he—
 - (i) is, or has been, a Judge of a High Court; or
 - (ii) is, or has, for a combined period of ten years, been a District Judge and Additional District Judge; or
 - (iii) has been an advocate for ten years with substantial experience in litigation in matters relating to environment and forest in National Green Tribunal or High Court or Supreme Court; or
 - (iv) is, or has been a member of the Indian Legal Service in Grade I or above.
- (c) Expert Member, unless he—
 - (i) has a degree or post-graduation degree or Doctorate Degree in Science and has an experience of twenty-five years in the relevant field including five years' practical experience in the field of environment and forests (including pollution control, hazardous substance management, environment impact assessment, climate change management, biological diversity management and forest conservation) in a reputed National level institution; or
 - (ii) has administrative experience of twenty years including experience of five years in dealing with environmental matters in the Central Government or a State Government or in a reputed National level institution.

(XII) National Company Law Appellate Tribunal under the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

— A person shall not be qualified for appointment as—

- (a) Chairperson, unless he—
 - (i) is, or has been, a Judge of the Supreme Court; or
 - (ii) is, or has been the Chief Justice of a High Court;
- (b) Judicial Member, unless he—
 - (i) is, or has been, a Judge of a High Court; or
 - (ii) is, or has been a Judicial Member of the National Company Law Tribunal for five years; or
 - (iii) has been an advocate for ten years with substantial experience in litigation in matters relating to company affairs before National Company Law Tribunal, National Company Law Appellate Tribunal, High Court or Supreme Court; or
 - (iv) has been a member of the Indian Legal Service at the level of Additional Secretary to the Government of India or above;
- (c) Technical Member, unless he is a person of ability, integrity and standing having special knowledge and professional experience, of not less than twenty-five years, in law, industrial finance, industrial management or administration, industrial reconstruction, investment,

accountancy or any other matter which is useful to the National Company Law Appellate Tribunal.

(XIII) National Consumer Disputes Redressal Commission under the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019). — A person shall not be qualified for appointment as—

(a) President, unless he—

(i) is, or has been, a Judge of the Supreme Court; or

(ii) is, or has been, Chief Justice of a High Court;

(b) Member, unless he—

(i) is, or has been, a Judge of a High Court; or

(ii) is, or has, for a combined period of ten years, been a District Judge and Additional District Judge; or

(iii) has been a member of the Indian Legal Service at the level of Additional Secretary to the Government of India or above; or

(iv) is a person of ability, integrity and standing, and having special knowledge of, and professional experience of not less than twenty-five years in economics, business, commerce, law, finance, accountancy, management, industry, public affairs, administration or any other matter which is useful to the National Consumer Disputes Redressal Commission.

(XIV) Industrial Tribunal under the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020). — A person shall not be qualified for appointment as—

(a) Judicial Member unless he—

(i) is, or has, for a combined period of ten years, been a District Judge and Additional District Judge; or

(ii) has been an advocate for ten years with substantial experience in litigation in labour related matters; or

(iii) is, or has been a member of the Indian Legal Service in Grade I or above;

(b) Administrative Member, unless, he is, or has been an officer of the rank of Joint Secretary to the Government of India or an equivalent rank in the Central Government or a State Government.

(XV) Income-tax Appellate Tribunal under the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025). — A person shall not be qualified for appointment as—

(a) President unless he—

(i) is, or has been a Judge of a High Court and who has completed not less than seven years of service as a Judge in a High Court; or

(ii) is a Vice-President of the Income-tax Appellate Tribunal;

(b) Vice-President, unless he is a Member; and

(c) Judicial Member, unless he—

(i) is, or has, for a combined period of ten years, been a District Judge and Additional District Judge; or

(ii) has been an advocate for ten years with substantial experience in litigation under Income-tax laws in Income-tax Appellate Tribunal, High Court or Supreme Court; or

(iii) is, or has been a member of the Indian Legal Service in Grade I or above;

(d) Accountant Member, unless he —

(i) has for ten years been in the practice of accountancy, as a chartered accountant under the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949); or

(ii) is, or has been a member of the Indian Revenue Service (Income-tax Service Group 'A') and has held the post of Principal Commissioner of Income-tax or any equivalent or higher post and has performed judicial, quasi-judicial or adjudicating function for three years.

26. Medical fitness of Chairperson or Member. — No person shall be appointed as the Chairperson or Member of the Tribunal unless he is declared medically fit by an authority specified by the Central Government in this behalf.

27. Casual vacancy. — In case of a casual vacancy in the office of—

(a) the Chairperson, the Central Government may appoint one of the Vice-Chairpersons or Vice-Chairman or Vice-Presidents or in their absence, the senior-most Judicial Member, wherever available or the senior-most Member of the Tribunal, to officiate as Chairperson;

(b) the Chairperson of the Debts Recovery Appellate Tribunal, the Central Government may appoint the Chairperson of another Debts Recovery Appellate Tribunal to officiate as Chairperson;

(c) the Presiding Officer of the Debts Recovery Tribunal, the Central Government may appoint the Presiding Officer of another Debts Recovery Tribunal to officiate as Presiding Officer;

(d) the Chairperson of the State Administrative Tribunals, the respective State Government may appoint one of the Judicial Members to officiate as Chairperson.

28. Retirement or resignation from parent service on appointment as Chairperson or Member. — Where the person appointed as a Chairperson or a Member of the Tribunal is a serving Judge of the Supreme Court or a High Court or a serving Member of any service of the Central Government or State Government or their Undertaking, he shall either resign or obtain voluntary retirement from his parent service before joining the Tribunal.

CHAPTER VIII

RESIGNATION OR REMOVAL OF CHAIRPERSON OR MEMBER OF TRIBUNALS AND MANNER OF CONDUCTING INQUIRY

29. Resignation. — The Chairperson or Member of any Tribunal may, by writing under his hand addressed to the Central Government, resign his office at any time:

Provided that the Chairperson or Member shall, unless he is permitted by the Central Government to relinquish office sooner, continue to hold office until the expiry of three months from the date of receipt of such notice or until a person duly appointed as a successor enters upon his office or until the expiry of his term of office, whichever is earlier.

30. Manner of conducting inquiry into complaints. — (1) Where a written complaint alleging any definite allegation as specified under clauses (d) to (g) of sub-section (1) of section 16 of the Act in respect of a Chairperson or Member of a Tribunal is received by the Ministry or Department concerned with the Tribunal, it shall conduct a preliminary inquiry on such complaint, within a period of one month from the date of receipt of such complaint.

(2) Where, on preliminary inquiry, the Ministry or Department concerned is of the opinion that there are reasonable grounds for making an inquiry into the veracity of any allegation referred to in sub-rule (1), it shall refer the matter to the Chairperson of the Commission for conduct of inquiry.

(3) The Chairperson of the Commission, on receipt of a reference under sub-rule (2), shall cause an inquiry to be conducted by an Inquiry Officer who is, or has been, a –

(a) Judge of Supreme Court or Chief Justice of a High Court, where the inquiry is against a Chairperson; or

(b) Judge of a High Court, where the inquiry is against a Member.

(4) The conduct of inquiry shall be guided by the principles of natural justice and the Inquiry Officer shall have the power to regulate the procedure of inquiry, including the fixing of date, place and time of inquiry.

(5) The Inquiry Officer shall submit the inquiry report along with his findings to the Commission as early as possible or within a period of one hundred twenty days from the date of appointment of the Inquiry officer under sub-rule (3).

(6) The Commission shall forward the inquiry report, along with its recommendations to the Central Government within a period of one hundred and eighty days from the date of reference of the complaint under sub-rule (2) for appropriate action.

CHAPTER IX**SALARY AND ALLOWANCES OF CHAIRPERSONS AND MEMBERS OF TRIBUNALS**

31. Salary. — (1) The Chairperson, except the Presiding Officer of the Debts Recovery Tribunal, shall, be paid a salary of rupees two lakh fifty thousand (fixed) per month.

(2) The Member, except the Judicial Member and Administrative Member of the Industrial Tribunal, shall be paid a salary of rupees two lakh twenty-five thousand per month.

(3) A Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal and the Judicial Member and Administrative Member of an Industrial Tribunal constituted by the Central Government shall be entitled to salary as admissible to an officer of the Central Government holding the post in level 14 of the pay matrix.

(4) Where the Chairperson or Member is in receipt of any pension in respect of their previous service, the pay of such Chairperson or Member shall be reduced by the gross amount of such pension.

32. Allowances. — (1) The Chairperson and Members of the Tribunals shall be entitled to draw such allowances and benefits as are admissible to an Officer of the Central Government carrying the same pay.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), with effect from the date of assuming office, the Chairperson or Members shall have an option to avail accommodation to be provided by the Central Government as per the applicable rules or be eligible for reimbursement of house rent subject to a limit of —

(a) rupees one lakh fifty thousand per month in case of Chairperson, except for the Presiding Officer of Debts Recovery Tribunal; and

(b) rupees one lakh twenty-five thousand per month in case of Members of Tribunals and Presiding Officer of Debts Recovery Tribunal.

33. Transport allowance. — The Chairperson and Member shall be entitled to the use of staff car on the same terms and conditions as are admissible to an officer of the Central Government carrying the same pay under the applicable rules.

CHAPTER X

PENSION, PROVIDENT FUND, GRATUITY AND LEAVE OF CHAIRPERSONS AND MEMBERS OF TRIBUNALS

34. Pension, provident fund and gratuity. — The Chairperson and Members of the Tribunal shall not be entitled for additional pension, provident fund and gratuity for the services rendered in the Tribunal.

35. Leave. — (1) The Chairperson and Members shall be entitled to—

- (a) thirty days of earned leave for every year of service; and
- (b) casual leave of eight days in a calendar year.

(2) The payment of leave salary during leave shall be governed by rule 40 of the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972.

(3) The Chairperson and Members shall be entitled to encashment of leave in respect of the earned leave standing to their credit, subject to the condition that the total period of earned leave encashed by them, including the period of earned leave encashed at the time of retirement from previous service, shall not in any case exceed the limit specified under the Central Civil Service (Leave) Rules, 1972.

(4) The leave sanctioning authority for —

- (a) the Chairperson, shall be the respective administrative Ministry or Department of the Central Government or the State Government, as the case may be; and
- (b) the Member, shall be the Chairperson or in case of absence of Chairperson, the respective administrative Ministry or Department of the Central Government or the State Government, as the case may be.

(5) The respective administrative Ministry or Department of the Central Government shall be the sanctioning authority for foreign travel, if any, for the Chairperson or a Member.

CHAPTER XI

MISCELLANEOUS

36. Oath of office and secrecy. — Every person appointed to the post of Chairperson, or Member of the Tribunal shall, before entering upon their office, make and subscribe an oath of office and secrecy in Form I and Form II, respectively.

37. Declaration of financial and other interests. — The Chairperson and Members of the Tribunal shall, immediately before entering upon their office, submit —

- (a) a declaration of financial and other interest in Form III; and
- (b) a statement of immovable property in Form IV and thereafter on or before the 31st January of

every year.

38. Other conditions of service. — (1) The terms and conditions of service of a Chairperson or Members of the Tribunal with respect to which no express provision has been made in these rules, shall be such as are applicable to an Officer of the Central Government carrying the same pay.

(2) The Chairperson or Members shall not practice before the Tribunal, after their retirement from the service of that Tribunal.

(3) The Chairperson or Members shall not undertake arbitration or any other paid assignment while functioning in these capacities in the Tribunal.

(4) The Chairperson or Members of the Tribunal shall not, for a period of two years from the date on which they cease to hold office, accept any employment in, or connected with the management or administration of, any person who has been a party to a proceeding before the Tribunal:

Provided that nothing contained in this rule shall apply to any employment under the Central Government or a State Government or a local authority or in any statutory authority or any corporation established by or under any Central or State Act or a Government company as defined in clause (45) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

39. Residuary powers. — The matters with respect to which no express provision has been made in these rules shall be referred in each case to the Central Government for its decision and the decision of the Central Government thereon shall be final.

FORM I

(See rules 7 and 36)

Form of Oath of Office for Chairperson or the Member of the Commission / Tribunal

I, _____, having been appointed as Chairperson of the Commission / _____ Tribunal / Member of the Commission / _____ Tribunal do solemnly affirm/do swear in the name of God that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as the Chairperson/ Member of the Commission/ _____ Tribunal to the best of my ability, knowledge and judgment, without fear or favour, affection or ill-will and that I will uphold the Constitution and the laws of the country.

Signature:

(Name of the Chairperson/
Member)

Designation:

.....Commission/.....Tribunal

FORM II

(See rules 7 and 36)

Form of Oath of secrecy for Chairperson/Member of the Commission / Tribunal

I, _____, having been appointed as the Chairperson / Member of the Commission / _____ Tribunal, do hereby solemnly affirm/do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Chairperson / Member of the said Commission / Tribunal except as may be required for due discharge of my duties as the Chairperson / Member.

Signature:

(Name of the Chairperson/
Member)

Designation:

.....Commission /Tribunal

FORM III
(See rules 8 and 37)

Declaration of financial or other interest

I, _____, having been appointed as the Chairperson / Member of the Commission / _____ Tribunal do solemnly affirm and declare that I do not have, nor shall have in future any financial or other interest which is likely to affect prejudicially my functioning as the Chairperson / Member of the Commission / _____ Tribunal.

Signature:
(Name of the Chairperson/
Member)

Designation:
.....Commission /Tribunal

FORM IV

(See rules 8 and 37)

STATEMENT OF IMMOVABLE PROPERTY RETURN FOR THE YEAR ____

AS ON __/__/____

1. Name of Chairperson/Member (in full): _____
2. Designation: _____
3. Present Pay: _____

Name of District, Sub- Division, Taluk and Village or City in which property is situated (full location and postal address)	Name and Details of Property, Housing, Lands and Other Buildings	Cost of construction/ Acquirement (and year when purchased) including of land in case of house	Present Value *	If not in own name, state in whose name held and his/her relationship to the Chairperson / Member	How acquired, whether by purchase, lease, mortgage, inheritance, gift or otherwise with date of acquisition and name with details of person(s) from whom acquired.	Annual Income from property	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

NOTES

1. *In case where it is not possible to assess the value accurately, the approximate value in relation to present conditions may be indicated.
2. The wording 'No Change or No Addition or As in previous year' may be avoided and all details filled up.

[F. No. J-18/75/2026-JUDICIAL/E.198117]

PRAVEEN SRIVASTAVA, Addl. Secy.